तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
०।७	पत्रावली पेश हुई। स्थगन हेतु बहस स्थगन सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम तिलवासनी में ख.नं. 821 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी है जिस पर प्रार्थी के दादा परदादा शुरू काबिज थे फिर उनके पुत्र पुत्र काबिज रहे तथा मौखिक सेटलमेंट में वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के दादा कुम्भाराम को प्राप्त हुई व कुम्भाराम से मौखिक रूप से भागुराम को व भागुराम से मौखिक बंटवारे में प्रार्थी को प्राप्त हुई तथा प्रार्थी का कब्जा काश्त है व एकवर्ष पजेशन है तथा अप्रार्थीगण न्यायालय से स्थगन के बावजूद बेचान करने पर उतारू है इसलिये भूमि पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर वादग्रस्त आराजी को कुर्क किया जावे। वकील अप्रार्थीगण में वकील जेठाराम चौहान की बहस को सुना गया। इसी प्रकार वकील B.S. जाखड़ को अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र से	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
... (जोधपुर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

विक्रेताओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी अधिग्रहण नहीं है, न ही एवं कोई दस्तावेज प्रार्थी ने पेश किया है तथा पूर्व में प्रार्थी के पिता ने भी नामान्तरण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र लेकर 13/9/2017 पेश किया था जो खारिज हुआ तथा वादग्रस्त आराजी स्वामीगत की खातेदारी की है जिस पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता, व प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व व बहस उभयपक्ष पर मनन किया, सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी हो इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है व पूर्व में प्रार्थी के पिता द्वारा भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है वादग्रस्त आराजी के स्वामीगत रेकर्ड में खातेदार है तथा दि 15/5/18 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश

(नियम 26)

...ज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

...स मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया थे जो अप्रार्थी संख्या 3, 4 के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से जारी आदेश था इसका आदेश की अप्रार्थीगण ने अवमानना की है तथा प्रार्थी ने न्यायिक अवमानना का कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है वह पत्रावली में नहीं है। न्यायालय के विनम्र मत में यदि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के किसी आदेश की अवमानना की गई है तो प्रार्थी न्यायिक अवमानना की कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है। इस स्तर पर रेफरी आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र (नीलाम/ परमानेन्ट/ रिसीवर नियुक्त किया जाना कतई उचित नहीं है। न प्रार्थी ने इसी न्यायालय का जो आदेश नजीर के रूप में पेश किया है वह इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्यहीन आधारहीन होने से खारिज किया जाता है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर शहर (जोधपुर)	

Scanned by CamScanner